Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

क्रमांक : क्षे.का.सी. / लेखा / 2021 दिनांक ....

खुली निविदा सूचना 01 / 2021

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, सीकर में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मैन विद मशीन), मानव संसाधन सेवाओं एवं वाहन मय ड्राइवर उपलब्ध करवाने हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि व समय	बोली खोलने की तिथि व समय
1	कम्प्युटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (मैन विद मशीन)–3	325000 / –	6500 / – अथवा वित्त विभाग के नियमानुसार	500 / –	18.11.2021 को अपराह्न 1:00 बजे तक	18.11.2021 को सायं 5:00 बजे
2	मानव संस्थाधन सेवाओं का उपापन – 7	400000 / –	8000 / – अथवा वित्त विभाग के नियमानुसार	500 / –	18.11.2021 को अपराह्न 1:00 बजे तक	18.11.2021 को सायं 5:00 बजे
3	टैक्सी परमिट वाहन–1	400000 / –	8000 / – अथवा वित्त विभाग के नियमानुसार	500 / –	18.11.2021 को अपराह्न 1:00 बजे तक	18.11.2021 को सायं 5:00 बजे

1. खुली निविदा आमन्त्रण सूचना मय बोली दस्तावेज राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
2. बोली प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27.11.2021 से कार्यालय समय में बोली प्रपत्र शुल्क नकद / डी.डी. / बैंकर्स चैक द्वारा जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. बोली प्रपत्र http://sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त करने की स्थिति में बोली प्रपत्र शुल्क डी.डी. / बैंकर्स चैक के रूप में बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किया जा सकता है परन्तु नगद जमा करवाने की स्थिति में बोली प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लेकर प्राप्ति रसीद को बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
4. सीमित बोली की प्रतिभूति राशि डी.डी. / बैंकर्स चैक / शपथ पत्र बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. प्राप्त बोलियां दिनांक 18.11.2021 को अपराह्न 5:00 बजे इस कार्यालय के कक्ष संख्या 18 में उपस्थित बोलीदाता / संवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेंगी।
6. किसी भी बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति को अधिकार सुरक्षित है।
7. इस निविदा का NIB No. .... एवं
   UBN No. .... है।

Sd/-
(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक : क्षे.का.सीकर / लेखा / 2021 / 1302 – 03 दिनांक 26/10/21
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. लेखा शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर (मुख्यालय)
2. श्री दिनेश योगी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को प्रेषित कर लेख है कि बोली को http://sppp.rajasthan.gov.in राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करे।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा

(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

निविदा संख्या 1/2021 क्रम संख्या 3
टैक्सी परमिट वाहन – 1

लिफाफा नं. 2
निविदा प्रपत्र शुल्क 500/– रुपये

NIB No ....

UBI No. ....

वित्तीय बोली प्रपत्र

हमारी संस्था/हमारे कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, सीकर में वाहन मय चालक एवं अन्य व्यय की दरें एवं राशि निम्न प्रपत्र में अंकित की जा रही हैं। निम्न दरें वर्ष 2021–2022 (31 मार्च 2022 तक) हेतु दी जा रही हैं।

निविदा प्रपत्र विक्रय करने की तिथि एवं समय	27.10.2021 प्रातः 10:00 बजे से
निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	18.11.2021 अपराह्न 12:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	18.11.2021 अपराह्न 01:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	18.11.2021 सायंकाल 05:00 बजे
निविदा प्रपत्र शुल्क	**500/– रुपये**

क्र.सं	कार्य का विवरण	विशिष्टियां	दर प्रति इकाई प्रति माह (ड्राइवर, ईंधन, एवं वाहन सम्बन्धित समस्त व्ययों सहित)			विशेष विवरण
				अंकों में	शब्दों में	
1	वाहन(टैक्सी परमिट)	संलग्न स्पेसिफिकेशन व शर्तों के अनुसार	1500 किमी तक			
			1500 किमी से अधिक प्रति किमी			

1. सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की/हमारी होगी। संवेदक/हमारे द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) एवं अन्य सभी प्रकार के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) या अन्य किसी प्रकार के कर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST), या अन्य करों का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) या अन्य करों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/हमारा का होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

निविदा संख्या 1/2021 क्रम संख्या 3
टैक्सी परमिट वाहन – 1
NIB No ....

लिफाफा नं. 1
निविदा प्रपत्र शुल्क 500/– रुपये
UBI No. ....

खुली निविदा बोली प्रपत्र
संवेदक का विवरण

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम : ....
2. डाक का पता : ....
....
3. वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर : ....
4. फोन/मोबाईल नं. : ....
5. ई–मेल : ....
6. बैंक का नाम : ....
   IFSC Code : ....
   खाता संख्या : ....
7. निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करवाने का साक्ष्य : ....
   (रसीद/डीडी/बैंकर्स चैक नं. मय दिनांक)
8. बोली प्रतिभूति शूल्क जमा करवाने का साक्ष्य / शपथ पत्र : ....
9. मैं/हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय सीकर द्वारा जारी की गयी खुली निविदा आमन्त्रित सूचना में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गयी उक्त खुली निविदा आमन्त्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
10. बोलीदाता/संवेदक द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

निविदा संख्या 1/2021 क्रम संख्या 3 | लिफाफा नं. 1

टैक्सी परमिट वाहन – 1 | निविदा प्रपत्र शुल्क 500/– रुपये

NIB No .... | UBI No. ....

General Terms & Conditions of Bid & contract :

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी होंगे।
2. निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में मुहरबन्द लिफाफे द्वारा सीधे/साधारण/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 05.10.2021 को अपराह्न 1:00 बजे तक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, सीकर के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।
3. निविदा की शर्तों को ध्यान पूर्वक पढे एवं स्वीकारोक्ति के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
4. परमिटधारी वाहन मालिक ही टैक्सी प्रयोजन हेतु निविदा प्रस्तुत करें। प्राईवेट टेक्सी किराये पर नहीं ली जायेगी।
5. वाहन के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि वाहन पर होने वाले समस्त प्रकार के व्यय यथा चालक की व्यवस्था, उसके वेतन भत्ते, डीजल, ऑयल, मरम्मत, टूट–फूट, वाहन शास्ति, चालान आदि वाहन मालिक द्वारा वहन किये जायेंगे।
6. वाहन पर किसी भी स्थिति में 21 वर्ष से कम की आयु का चालक नहीं लगाया जायेगा। यदि कार्य करते समय वाहन दुर्घटना हो जाती है या उसके कर्मचारियों को चोट लग जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं वाहन मालिक का होगा।
7. वाहन की दुर्घटना, टूट–फूट/जोखिम या किन्हीं कारणों से खराबी या अनुपलब्धता की स्थिति में वाहन मालिक को शीघ्र दूसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
8. चालक एवं वाहन 24 घण्टे सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी के नियन्त्रण में राजकार्य हेतु उपलब्ध रहेंगे।
9. डीजल/ऑयल/स्नेहक/स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में यदि अनुबन्ध अवधि में कोई वृद्धि होती हो तो दरों का पुनः निर्धारण नहीं किया जायेगा।
10. प्रदाय किए जाने वाले वाहन का मॉडल 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तथा वाहन सम्बन्धित प्रादेशिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त वैद्य फिटनेस प्रमाण पत्र युक्त होना चाहिए।
11. संविदा वाहन का मुख्यालय सीकर रहेगा।
12. वाहन सम्पूर्ण संविदा अवधि के लिए पंजीकृत बीमा, फिटनेस एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र, दस्तावेज, टैक्सी परमिट फोटो प्रति कार्यालय में देनी होगी।
13. वाहन मालिक बिल एवं लॉग बुक प्रभारी अधिकारी से प्रतिमाह प्रमाणित करवाकर भुगतान हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
14. वाहन मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक टैक्सी का वैध लाईसेन्स धारक होगा।
15. यदि निविदादाता का वाहन या चालक क्षेत्रीय अधिकारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुपयुक्त पाया जाता है तो निविदादाता द्वारा ऐसे वाहन या स्टाफ पर अन्य उपयुक्त वाहन या स्टाफ तुरन्त उपलब्ध करवाया जायेगा।
16. निविदा के साथ निविदादाता को निविदा सूचना के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। बोली प्रतिभूति राशि क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, सीकर के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
17. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र भरकर देना होगा कि वाहन निविदा के सफल क्रियान्विति के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, नियमानुसार करार पूर्ण करेगा जो कि 31.03.2022 तक का होगा। कार्य सम्पदान प्रतिभूति राशि/निविदा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज करार अवधि में या उसके उपरान्त देय नहीं होगा यदि निविदादाता इस प्रकार निहित शर्तों एवं उपलब्ध दरों का पालन न करने, पूर्ण न करने या अनुचित मांगे या व्यवहार को दोषी पाये जाने पर पर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करली जायेगी एवं फर्म को Black Listed किया जायेगा।
18. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार निविदा जारीकर्ता को होगा।
19. प्रक्रिया की क्रियान्विति से सम्बन्धित या न्यायिक परिवाद का क्षेत्र जिला न्यायालय सीकर होगा।
20. निविदा में अंकित शर्तों के अलावा वाहन मालिक द्वारा स्वयं की तरफ से जोड़ी गई शर्त मान्य नहीं होगी।
21. समय पर वाहन उपलब्ध न कराने से अन्य वाहन किराये पर लेने का हर्जा–खर्चा का वहन वाहन मालिक/संस्था से किया जायेगा।
22. निविदा के साथ प्रस्तुत किसी भी गलत सूचना की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी एवं किसी भी समय निविदा निरस्त की जा सकेगी।
23. निविदा प्रस्तुत करने वाले वाहन का पंजीयन किया हुआ होना चाहिये। पंजीयन के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी। तथा वाहन का दिनांक 31.03.2022 तक का टैक्स जमा का सबूत टी.सी.सी. पेश करनी होगी।
24. वाहन के स्पीड मीटर एवं किलोमीटर रिकॉर्डर उच्च कोटी के होने चाहिए किलोमीटर यंत्र को सील करने के उपरान्त ही वाहन विभाग द्वारा उपयोग में लिया जायेगा। सील सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही खुलेगी।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

25. वाहन पर कार्य करने वाले कर्मचारी को आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित वर्दी धारण करना आवश्यक होगा जो वाहन मालिक द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।
26. संविदा वाहन के वाहन चालक का पुलिस विभाग से पुलिस सत्यापन करवाकर कार्यालय में 15 दिवस में जमा करवाया जाना होगा।
27. स्वीकृत दरें 31.03.2022 तक वैद्य होगी।
28. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई एस आई करवाने/सामुहिम दुर्घटना बीमा करवाने इतयादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व वाहन मालिक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
29. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाड़े (Sub Let) पर देय नहीं होगा।
30. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी वह 5 दिवस में वाहन मय चालक उपलब्ध करवायेगा।
31. यदि किसी बोलीदाता पर कोई वैधानिक अधिनियम लागू नहीं होता है और वह इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो उसकी बोली नियमानुसार मान्य की जायेगी।
32. बोली के संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
33. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूमि (Agrement and Performance Security) :-
   अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम् 7 दिवस में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पाँच प्रतिशत राशि/वित्त विभाग के आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूमि के रूप में नगद/चालान से जमा करानी होगी एवं राशि 500 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित प्रारूप में 15 दिवस में एक करार पत्र का निष्पादन करना होगा।
   ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
   स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
34. कार्य सम्पादन प्रतिभूमित राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Perrmance Security Deposti) :-
   कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा।
   अ) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
   ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण काल में वाहन एवं चालक संतोषजनक ढंग से उपलब्ध करवाने में असफल रहा हो।
   स) जब बोलीदाता वाहन एवं चालक आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवाने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि समपहरण करने के युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस सम्बंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
35. भुगतान :-
   अ) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
36. फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
37. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या / संदेह हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(नीरज शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

निविदा संख्या 1/2021 क्रम संख्या 3
टैक्सी परमिट वाहन – 1
NIB No ....

लिफाफा नं. 1
निविदा प्रपत्र शुल्क 500/– रुपये
UBI No. ....

घोषणा पत्र

खुली निविदा सूचना की समस्त जानकारी / शर्तों को मैंने / हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है मैं / हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं / हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं वास्तव में खुली बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन / उपकरण / प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध हैं तथा अधिनियम की धारा 46 एवं नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी बोली प्रतिभूति / एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर किया जा सकेगा तथा खुली निविदा बोली को जिस सीता तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील